न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 53/2020

प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी

तहसीलदार बाडमेर | | परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :– 1. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 22/03/20

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम सुथारों का कुआ पटवार मण्डल हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 425 में से नव सृजित खसरा संख्या 635/425 व 637/425 कुल रकबा 02.14 बीघा का ऐकीकरण कर नगर परिषद् बाडमेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाडमेर ने नोटिस का जवाब इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम सुथारों का कुआ पटवार मण्डल हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के ख्खसरा संख्या 635/425 व 637/425 कुल रकबा 02.14 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 637/425 रकबा 02.14 बीघा अंकित कर परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाडमेर में दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम सुथारों का कुआ पटवार मण्डल हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 425 में से नव सृजित खसरा संख्या 635/425 व 637/425 कुल रकबा 02.14 बीघा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाडमेर के नाम ऐकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम सुथारों का कुआ पटवार मण्डल हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 425 में से नव सृजित खसरा संख्या 635/425 व 637/425 कुल रकबा 02.14 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित नया का खसरा संख्या 637/425 रकबा 02.14 बीघा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाडमेर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें।

यह आज तारीख 22/03/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested

(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22/03/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर